

प्रेस नोट दिनांक-28.09.2020

(1). आज दिनांक 28.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा ट्राफिक चौराहा एवं बेडी पुलिया पर पर आकस्मिक चैकिंग करायी गयी। इस वाहन चैकिंग में चार पहिया वाहनों में काली फिल्म, बिना नम्बर प्लेट के वाहन, मिटी हुयी नम्बर प्लेट वाले वाहन, ट्रिफल राईडिंग, नौजवानों द्वार फर्टा भरने वालों एवं बिना मास्क वालों पर को चैक कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी। इसके साथ ही जनपद के समस्त थाना/चौकियों में उपरोक्त आधार पर चैकिंग की गयी। वाहन चैकिंग के दौरान पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के कुशल निर्देशन में वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 17 वाँछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). वरि030नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 114/2020 धारा 306/323/504 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त (1) महेश पुत्र शिवमंगल पाण्डेय (2) कल्लू पुत्र शिवमंगल पाण्डेय निवासीगण नागर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 10/2020 धारा 354/507 भादवि0 व 67 आई0टी0एक्ट के वाँछित अभियुक्त (1) अनुज कुमार पुत्र कुलदीप नारायण (2) सूरज प्रसाद पुत्र दिनेश तिवारी निवासीगण ब्यासबन्ना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री सत्यदेव सिंह तथा आरक्षी जगपाल थाना राजापुर द्वारा मु0अ0सं0 164/2020 धारा 447 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त चन्द्रभूषण पुत्र छत्रपाल निवासी तिरवारमाफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री कन्हैयालाल तथा आरक्षी संदीप यादव थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 170/2020 धारा 324/504/506 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त राजबाबू पुत्र रामदीन निवासी गनीवा प्रसिद्धपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v). वरि030नि0 श्री श्यामसुन्दर यादव तथा मुख्य आरक्षी महेन्द्र पाल थाना राजापुर द्वारा मु0अ0सं0 171/2020 धारा 379/411/419/420 भादवि0 व 04/21 खनिज अधिनियम व 03 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के वाँछित अभियुक्त सुरेशचन्द्र पुत्र धनपत निवासी बाबूपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री कन्हैयालाल तथा आरक्षी संदीप यादव थाना राजापुर द्वारा मु0अ0सं0 172/2020 धारा 452/323/504/506 भादवि0 व 92(क) दिव्यांग अधिनियम के वाँछित अभियुक्त भगवानदीन पुत्र गुलजार निवासी कंधवनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vii). उ0नि0 श्री अर्पित पाण्डेय तथा आरक्षी अशोक बाबू व आरक्षी अखिलेश कुमार थाना राजापुर द्वारा मु0अ0सं0 174/2020 धारा 147/149/452/323/504/506 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त महेश गौतम पुत्र राजाराम उर्फ चिरकू (2) सुधाकर पुत्र सुरेश (3) अश्विनी पुत्र लाल बाबू (4) धर्मेन्द्र उर्फ पप्पू गौतम पुत्र महेश गौतम (5) प्रधान पुत्र सुरेश गौतम निवासीगण नैनी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(viii). उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम तथा आरक्षी बृजभान थाना राजापुर द्वारा मु0अ0सं0 176/2020 धारा 324/325/323/504 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त देशराज पुत्र मातादीन (2) राममूरत पुत्र देशराज (3) हीरालाल पुत्र देवीदीन (4) प्रमोद पुत्र अमृतलाल निवासीगण रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में विवेचना निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा दिनांक 27.09.2020 को 35 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

(i). श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के निर्देशन में थाना कोतवाली कर्वी के विवेचकों द्वारा 10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

(ii). श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मऊ के निर्देशन में थाना मऊ के विवेचकों द्वारा 03 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

(iii). श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के निर्देशन में थाना राजापुर के विवेचकों द्वारा 13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

(iv). श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के निर्देशन में 01 विवेचना का निस्तारण किया गया।

(v). श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ के निर्देशन में 01 विवेचना का निस्तारण किया गया।

(vi). श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा के निर्देशन में थाना रैपुरा के विवेचकों द्वारा 02 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

(vii). श्री केके0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर के निर्देशन में थाना मानिकपुर के विवेचकों द्वारा 02 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

(viii). श्री पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा के निर्देशन में थाना बहिलपुरवा के विवेचकों द्वारा 02 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

(ix). श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के निर्देशन में 01 विवेचना का निस्तारण किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को अलग-अलग 750 ग्राम व 450 ग्राम कुल 01 किलो 200 ग्राम सूखा गांजा नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त महेश पुत्र नारायण निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 750 ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 115/2020 धारा 08/20 N.D.P.S. एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

750 ग्राम अवैध सूखा गांजा

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी ओमप्रकाश पाल
3. आरक्षी नरेन्द्र कुमार

(ii). श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सत्यदेव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त केशन सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी बरूवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 450 ग्राम सूखा गांजा नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 198/2020 धारा 08/20 N.D.P.S. एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

450 ग्राम सूखा गांजा नाजायज

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सत्यदेव सिंह थाना राजापुर

2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव

3. आरक्षी शिवपूजन

(5). आज दिनांक 28.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती रश्मी पुत्री पप्पू पत्नी मानसिंह निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके ससुर देवनारायण, सास तौती व पति मानसिंह उसको प्रताड़ित करते एवं अतिरिक्त दहेज की मांग कर लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट करते है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त मुख्य आरक्षी अरुण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्रीमती रश्मी पुत्री पप्पू पत्नी मानसिंह की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर उसके ससुराल पक्ष के लोगों से वार्ता उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों ने विवाद न करने की बात कही। ससुराल पक्ष द्वारा भविष्य में बहू को प्रताड़ित करने की बात की । श्रीमती रश्मी व श्री मानसिंह द्वारा में आपसी सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नि के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।